

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

13 APR 2017

क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट

जयपुर, दिनांक 13 APR 2017

विषय :- प्रशासन गांव के संग अभियान-2017 के शिविरों में नगर योग्य सीमाओं (Urbanisable limits) में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के गांव में सार्वजनिक उपयोग सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन बाबत।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.04.2017 से दिनांक 12.07.2017 तक प्रशासन गांव के संग अभियान-2017 चलाया जा रहा है। अभियान में शहरी क्षेत्रों में जो गांव सम्मिलित किये गये हैं उनमें सहकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं सार्वजनिक उपयोग के कार्यों तथा जनसंख्या के अनुपात में आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन भी ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किये जा रहे शिविरों के दौरान ही किया जाना है।

विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासन गांव के संग अभियान-2017 के लिए विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4 () पट्टा आव/विधि/पंरा/2017/266 जयपुर, दिनांक 05.04.2017 से जारी किये गये दिशा-निर्देशों में के बिन्दु संख्या 11 की अनुपालना में ग्राम पंचायतों को पट्टा देने की अधिकारिता बाबत निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं:-


1. न्यास/प्राधिकरण के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शों में दर्शाया हुआ है, की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा की राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत भूमि आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर पट्टे दिये जाने की अधिकारिता दी जाती है।
2. उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अजमेर विकास प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।
3. नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गयी सीमा के भीतर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा सकेगा। न्यास/प्राधिकरण को ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित की गयी भूमि पर आवंटन का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित उद्देश्यों के लिए " प्रशासन गांव के संग अभियान-2017" के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायतों को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भूमि (प्राधिकरण/न्यास के नाम दर्ज एवं सिवायचक जैसी भी स्थिति हो) आवंटित करने के लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:

1. प्राधिकरण का उपायुक्त, यदि न्यास एवं स्थानीय निकाय है तो सचिव, - अध्यक्ष
2. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी - सदस्य
3. सम्बन्धित उप नगर नियोजक या सहायक/कनिष्ठ अभियंता - सदस्य


समिति द्वारा शमशान एवं कब्रिस्तान आदि के लिए भूमि का चिन्हकरण एवं आरक्षण भी किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।


 (राजेन्द्र सिंह शेखावत)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम


प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. समस्त कलक्टर, राजस्थान।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि नगर पालिकाओं के लिए अपने स्तर पर आदेश जारी करें।
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. उप नगर नियोजक/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।


 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Sd. D.S.

Sir, Please upload on HDH web site.


 17/04